



ALL INDIA ASSOCIATION OF COAL EXECUTIVES (AIACE)

(Regd. Under the Trade Union Act, 1926; Regd. No. 546 / 2016)

302, Block No. 4, Ram Krishna Enclave, Nutan Chowk, Sarkanda; Bilaspur (CG)

E-mail : centralaiace@gmail.com ; Ph. 9907434051

Ref No. **AIACE/CENTRAL/2025 / 024**

Dated 14.5.2025

To
The CMD,
SECL,
Bilaspur (CG)

Sub: Request for Transfer of Sri Hetram Sahu from Korba Area for his indisciplined activities

Dear Sir,

Through this letter, we seek to highlight indulgence in various nuisance activities by Sri Hetram Sahu, Overman Surakachhar Main Mines, Korba Area and request his immediate transfer out of Korba Area to bring Industrial peace and harmony in this Area. The series of nuisance activities mentioned against him are:-

1. Firstly, a false allegation was made against Umesh Kumar Dubey and then a complaint was lodged with Rajgamar Police station and then to the Korba Suptd of Police.
2. Next, Complaint against the Manager of Rajgamar 4/5 was lodged with Rajgamar Police and SP, Korba.
3. Thirdly, when Sri Dinesh Kumar Shukla tried to defend these 2 persons, a defamation case was filed against him on the basis of the statement given in the police station.
4. Fourthly, On 25.03.2023, the Sub-Area Manager called Hetram Sahu, Overman to his office and took initiative to settle the case but Hetram Sahu refused to withdraw the case against Dinesh Kumar Shukla and wrote a false complaint against the Sub-Area Manager Sri P. Mudli, alleging that he called him to his office and abused him and threatened to ruin him and called for appropriate action from CMD , SECL.
5. In the fifth instance, on 22-05-2023, when transfer order of Hetram Sahu, Overman was issued from the area, at that time against that transfer order, he filed a case against CMD, APM Korba and Sub-Area Manager, Rajgamar in Bilaspur High Court.
6. It is to recall that, at that time, Hetram Sahu was working in 6/7 mine and Bibhuti Kumar Mishra was holding the post of Manager in 6/7 mine.
7. To take revenge against that transfer, he made a complaint to L.E. O,, Bilaspur on the basis of the letter given by Bibhuti Kumar Mishra for maintaining discipline in the mine. After that, he sent a legal notice to claim defamation and also made a written complaint to SP, Korba.
8. On the basis of the same false complaint, a case was filed against Sub-Area Manager Sri Mudli in Korba Court.
9. On the basis of the official letter given by Bibhuti Kumar Mishra, on which action has been taken under CMR and MINES Act, a case has been registered in Korba.

The representation of Sri Bibhuti Kumar Mishra is enclosed here with in Annexure-I.

We sincerely hope that our above request to transfer Sri Hetram Sahu out of Korba Area to bring Industrial peace and harmony in this Area will be considered and action will be taken.

Thanking You,

(P. K. SINGH RATHOR)
Principal General Secretary

सेवा में,
श्रीमान प्रिंसिपल जेनरल सेक्रेटरी
ए० आई० ए० सी० इ०

विषय : श्री हेतराम साहु का स्थानांतरण कोरबा क्षेत्र, एस०इ०सी०एल० से अन्य क्षेत्र में करवाने हेतु निवेदन ।

महाशय,

मैं विभूति कुमार मिश्रा, वरिय प्रबंधक, खनन वर्तमान में बी०सी०सी०एल० धनबाद में पदस्थ हूँ । इसके पहले मैं एस०इ०सी०एल० में मई 2024 तक रजगमार उप क्षेत्र में पदस्थ था । रजगमार उप क्षेत्र में ही श्री हेतराम साहु, माईनिंग सरदार एवं ओवरमैन के पद पर कार्यरत था । श्री हेतराम साहु का व्यवहार एवं काम करने का तरीका सदा मैनेजमेंट के विरुद्ध में रहा है । जब भी कोई अधिकारी के द्वारा श्री हेतराम साहु को गैर जिम्मेदारी कार्यशैली पर कोई पत्र निर्गत किया जाता था तो श्री हेतराम साहु उस अधिकारी की शिकायत वह विभिन्न फोरम में करता रहता था । उसकी यही धारणा थी कि मेरी दहशत प्रबंधन के उपर बनी रहे ताकि मुझे मेरी ड्युटी करने में किसी प्रकार का कोई रोक-टोक ना हो । फलतः सारे ऑफिसर को समय समय पर विभिन्न फोरम में जाकर शिकायत डोलनी पड़ती थी जे निम्नलिखित है -

1. सर्वप्रथम उमेश कुमार दुवे के उपर झुठा लांछन लगाया उसके बाद इसकी शिकायत रजगमार ओ० पी० में किया पुनः एस० पी० कोरबा को किया ।
2. रजगमार 4/5 के मैनेजर का शिकायत रजगमार ओ० पी० एवं एस० पी० कोरबा को किया ।
3. इसी दोनो अधिकारी के बचाव में दिनेश कुमार शुक्ला के विरुद्ध थाना में दिये गये वयान के आधार पर मानहानी का केश किया ।
4. 25.03.2023 को उप-क्षेत्रिय प्रबंधक ने हेतराम साहु, ओवरमैन को अपना कार्यालय बुलाकर केश निपटारा हेतु पहल किया लेकिन हेतराम साहु ने दिनेश कुमार शुक्ला के विरुद्ध केश उठाने से मना कर दिया एवं उप-क्षेत्रिय प्रबंधक पी० मुदली के विरुद्ध झुठा शिकायत लिखा उसमें लिखा कि मुरली साहब ने अपने आफिस में बुलाकर मुझे गाली गलौज किया एवं बरबाद कर देने का धमकी दिया और सी०एम०डी० साहब से उचित कार्यवाई की मांग की ।
5. 22-05-2023 को हेतराम साहु, ओवरमैन का क्षेत्र से ट्रांसफर आदेश निकला । उस समय हेतराम साहु 6-7 खदान में कार्यरत था और विभूति कुमार मिश्रा उस समय 6-7 खदान में प्रबंधक के पद पर आसिन थे ।
6. उस ट्रांसफर आदेश के विरुद्ध में हेतराम साहु ने सी०एम०डी० साहब, ए०पी०एम साहब एवं उप क्षेत्रिय प्रबंधक, रजगमार के उपर बिलासपुर हाईकोर्ट में केश कर दिया ।
7. उस ट्रांसफर के विरुद्ध बदला निकालने के हेतु विभूति कुमार मिश्रा के द्वारा खदान में अनुशासन बनाने हेतु दी गई पत्र को आधार बनाकर एल०इ०ओ०, बिलासपुर को शिकायत किया । उसके बाद अपन मानहानी का दावा करने के लिये लिगल नोटिस भेजवाया एवं एस० पी० कोरबा को भी लिखित शिकायत किया ।
8. उप क्षेत्रिय प्रबंधक प्रभाकर मुदली के उपर उसी झुठी शिकायत के आधार बनाकर कोरबा कोर्ट में केश कर दिया ।
9. विभूति कुमार मिश्रा के द्वारा दी गई ऑफिसियल पत्र जो सी०एम०आर० एवं माईस एक्ट के तहत कार्यवाई की गई है उसी को आधार बनाकर कोरबा में केश कर दिया है ।

फिलहाल श्री हेतराम साहु ओवरमैन सुराकछार में माईन कोरवा क्षेत्र में पदस्थ है । अभी भी श्री हेतराम साहु सुराकछार में माईन में अपने सुविधानुसार ड्युटी करता है । वह हमेशा दिनभर इधर से उधर घुमता रहता है और मैनेजमेंट के विरुद्ध में जहाँ तहाँ शिकायत करता रहता है । वह कम्पनी के हित में कम सोचता है और ऑफिसर को परेशान करने के बारे में सोचता रहता है । यह व्यक्ति आदतन इस स्वभाव का हो चुका है ।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि अधिकारियों की परेशानियों को देखते हुये सी०एम०डी० एस०इ०सी०एल० बिलासपुर से निवेदन करें कि श्री हेतराम साहु का स्थानांतरण कोरबा क्षेत्र से अन्य क्षेत्र एस०इ०सी०एल० में हो सके ताकि अधिकारियों को इस तरह कि मानसिक तनाव से निजात मिल सके ।

आपका विश्वासी

BB
12.5.25

विभूति कुमार मिश्रा
वरिय प्रबंधक, खनन
भा० को० को० लि०, धनबाद



साउथ ईस्टर्न कोल् फील्ड लिमिटेड
कार्यालय खान प्रबंधक
रजगामार 6/7 इंकलाइन

क्रमांक: एस.ई.सी.एल./ राज/खान प्रबंधक/6&7/आरोप पत्र/22/9।

दिनांक: 27.6.22

प्रति,

आरोप पत्र

श्रीमान हेतराम साहू ।
ओवरमैन , रजगामार 6/7 खदान।

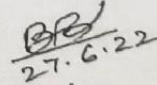
दिनांक 23.06.2022 को आपकी ड्यूटी रात्रि पाली में ओवरमैन / शिफ्ट इंचार्ज के हैशियत से थी। दिनांक 23.06.2022 के रात्रि में 40 मीटर केबल समयपाल कार्यालय के सामने से चोरी हुआ जिसकी सूचना आपने केवल मौखिक में दिया जबकि अधोहस्ताक्षरी ने आपको इसकी शिकायत लिखित में देने बोला ताकि इस संबंध में आवश्यक कारवाही प्रबंधन कर सके लेकिन आपने लिखित में इसकी शिकायत करना उचित नहीं समझा इससे इस कृत्य के जाँच पड़ताल में देरी हुई जिसके लिये आप जिम्मेदार है।

आपका उक्त कृत्य कंपनी में प्रचलित स्थायी प्रमाणित आदेश, जिससे आपकी सेवाये निबंधित होती है, के तहत कदाचार कि श्रेणी में आता है। उक्त कृत्य निम्नधाराओं के अंतर्गत कदाचारित है:-

26.5 जानभूझकर कार्य की अवहेलना करना।

26.22 जानभूझकर किया गया ऐसा कार्य जिससे अनुशासन भंग होता हो या जिससे कंपनी के हितों की हानी होती हो।

अतः आपको अवसर दिया जाता है की, उक्त आरोपों के सम्बन्ध में यदि आपको कुछ कहना है तो पत्र प्राप्ति के 48 घंटों के भीतर अपना लिखित स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा यह समझा जायेगा की आप उक्त आरोपों को स्वीकार करते है एवं कंपनी नियमानुसार आप पर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रबंधन को बाध्य होना पड़ेगा।


27.6.22

खान प्रबंधक

रजगामार 6&7 इंकलाइन

प्रतिलिपि:

1. उपक्षेत्रीय प्रबंधक, रजगामार उपक्षेत्र।
2. संबंधित व्यक्ति।
3. कार्यालय प्रति।

प्रति,

क्षेत्रीय महाप्रबंधक

एस0 ई0 सी0 एल0, कोरबा क्षेत्र ।

विषय : रजगमार 6 एवं 7 खदान में दिनांक 23.06.2022 को हुई चोरी एवं श्री हेतराम साहु द्वारा आदेशों का अवहेलना संबंधी प्रकरण पर पुनः सघन जाँच हेतु निवेदन ।

महोदय,

सादर निवेदन है कि मैं विभूति कुमार मिश्रा (ई0 आइ0 एस0 सं0 90277583), वर्ष 2022-23 के दौरान रजगमार 6 एवं 7 खदान में बतौर खान प्रबंधक कार्यरत था ।

दिनांक 23.06.2022 को रात्रि पाली में 6 एवं 7 खदान स्थित समयपाल कार्यालय के सामने से लगभग 40 मीटर पॉवर केबल अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया था । उक्त रात्री में श्री हेतराम साहु, ओवरमैन, पाली प्रभारी के रूप में ड्युटी पर थे । उन्होंने मुझे फोन के माध्यम से मौखिक रूप से चोरी की सूचना दी, जिसपर मैंने उन्हें निर्देशित किया कि वे घटना का लिखित विवरण तत्काल प्रस्तुत करें, ताकि उचित प्रशासनिक कार्यवाही की जा सके एवं एफ0 आई0 आर दर्ज हो सके ।

परंतु श्री हेतराम साहु ने लिखित विवरण देने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया और धमकी भरे लहजे में कहा कि "मैं लिखित में कुछ नहीं दूंगा, आपको जो करना है कर लीजिये" । पुनः अगले दिन मैंने उन्हें आवेदन प्रस्तुत करने हेतु कहा, ताकि रजगमार पुलिस चौकी में प्राथमिकी दर्ज कराई जा सके । किन्तु उन्होंने 27.06.2022 तक कोई भी लिखित रिपोर्ट नहीं सौंपी ।

परिस्थितिबश, मुझे कम्पनी में प्रचलित आदेशों के अनुशार 27.06.2022 को उन्हें आदेश अवहेलना के लिये आरोप पत्र निर्गत करना पड़ा, जिसका उत्तर उन्होंने विषय से हटकर, झुठे, मनगढ़त एवं निराधार तथ्यों पर आधारित रूप से दिया ।

महोदय, मैं आपका ध्यान प्रकरण की वस्तुस्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ ।

1. वर्ष 2022 में जब मुझे 6 एवं 7 खदान का प्रभार सौंपा गया था उस समय वहाँ मेरे अतिरिक्त कोई अन्य अधिकारी पदस्थ नहीं थे । खदान में कुल श्रम शक्ति 52 थी तथा केबल पम्पिंग का कार्य संचालित हो रहा था ।
2. अधिकारियों की अनुपलब्धता के कारण पालीवार खान संचालन संबंधित समस्त कार्य ओवरमैन के माध्यम से किया जा रहा था ।
3. दिनांक 23.06.2022 को श्री हेतराम साहु ओवरमैन, पाली प्रभारी के रूप में कार्यरत थे और उनके कार्यकाल में ही उपरोक्त चोरी की घटना घटित हुई ।
4. श्री हेतराम साहु द्वारा घटना का लिखित विवरण ना दिये जाने के कारण एफ0 आई0 आर0 दर्ज नहीं हो सकी, जिसके कारण न तो सम्पत्ति की रिकवरी संभव हुई और ना ही घटना पर कोई विधिक कार्यवाही संभव हो पाई । परिणामस्वरूप कम्पनी को आर्थिक हानी उठानी पड़ी ।
5. हाल ही में सम्पन्न जाँच में श्री हेतराम साहु को दोषमुक्त कर दिया गया, जबकी उन्होंने अपने खान प्रबंधक का विधि सम्मत आदेशों का अवहेलना किया जिससे अनुशासनहीनता हुआ, साथ ही साथ कम्पनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ जो श्री हेतराम साहु ने जानबुझकर किया । इसी धारा की जाँच की जा रही थी परंतु जाँच कमिटी ने पक्षपात पूर्ण निर्णय लेते हुये श्री हेतराम साहु को दोषमुक्त किया ।
6. श्री हेतराम साहु के कथनानुशार ओवरमैन सिर्फ भुमिगत खदान का ही जबाबदेह होता है, तो फिर उन्होंने मुझे फोन से कौन जबाबदेही के तहत सूचना दिया यह विचार करने योग्य बात है ।
7. वस्तुतः श्री हेतराम साहु रात्री पाली में वरिय ऑफिसियल के पद पर कार्यरत थे जो की प्रबंधक के बाद का आदमी था तो किस आधार पर जाँच कमिटी ने केबल चोरी में श्री हेतराम साहु की जबाबदेही निश्चित नहीं किया । जबकी ओवरमैन सदा से मैनेजर के अनुपस्थिति में प्रबंधक माना जाता है । क्योंकि कम्पनी के दृष्टि में ओवरमैन एक सिनियर ऑफिसियल है ।

अतः महाशय से प्रार्थना है कि उपरोक्त विषय को गंभीरता से लेते हुये उप क्षेत्रीय प्रबंधक, रजगमार को निर्देशित करें कि इसकी सघन जाँच वरिय ऑफिसर के कमिटी के द्वारा निष्पक्ष करावें ताकि किसी के साथ भेदभाव ना हो ।

आपका विश्वासी

प्रतिलिपी :

1. क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक, कोरबा क्षेत्र ।
2. उप क्षेत्रीय प्रबंधक, रजगमार ।
3. प्रिंसिपल जेनरल सेक्रेटरी, ए0 आइ0 ए0 सी0 इ0 ।

संलग्न - उत्तर पत्र

विभूति कुमार मिश्रा
12.5.25

विभूति कुमार मिश्रा
वरिय प्रबंधक, खनन
भा0 को0 को0 लि0, धनबाद